माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर
(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

website-msuniversity.ac.in | E-mail id – registrar @msuniversity.ac.in

पत्रांकः 861/12 / प्रशा0 / MSU / 2025–26 | दिनांकः 31 / 07 / 2025

ई–मेल द्वारा

सेवा में,

01. प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।

02. शैक्षणिक समन्वयक
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।

विषयः–विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ पत्र सं0–1863 / सत्तर–3–2025–1942439, दिनांकः 22 जुलाई, 2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निवार्चन अधिकारी, उ0प्र0 के पत्र संख्या–830 / सी0ई0ओ0–4–17 / 4–2025, दिनांक 15 जुलाई, 2025 (छायाप्रति संलग्न), जिसके माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उपनियम–9 (Access to certain registers) में निम्न प्रावधान हैः–

''9. Access to certain registers.- For the purpose of preparing any roll or deciding any claim or objection to a roll, any registration officer and any person employed by him shall have access to any register of births and deaths and to the admission register of any educational institution, and it shall be the duty of every person incharge of any such register to give to the said officer or person such information and such extracts from the said register as he may require." के बारे में जागरूक करने तथा इन नियमों का पालन करने एवं सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश रजिस्टर की उपलब्धता सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा बूथ लेवल अधिकारियों तक कराने हेतु निर्देशित किया गया हैं।

उक्त पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि सम्बन्धित प्रकरण पर अपने स्तर से सभी संबंधितों को यथाशीघ्र निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

31-7-25
(कमल कृष्ण)
कार्य0 कुलसचिव

पत्रांक एवं दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
02. जिलाधिकारी, जनपद–सहारनपुर।
03. जिलाधिकारी, जनपद–मुजफ्फरनगर।
04. जिलाधिकारी, जनपद–शामली।
05. गार्ड फाईल।

(संजीव कुमार)
सहा0 कुलसचिव, प्रशासन

महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या-1863/सत्तर-3-2025-1942439

प्रेषक,

प्रेम कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 22 जुलाई, 2025

विषय: विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य निवार्चन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निवार्चन अधिकारी, उ0प्र0 के पत्र संख्या-830/सी0ई0ओ0-4-17/4-2025, दिनांक 15.07.2025 (छायाप्रति संलग्न), जो प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को सम्बोधित है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उपनियम-9 (Access to certain registers) में निम्न प्रावधान के बारे में जागरूक करने तथा इन नियमों का पालन करने एवं सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश रजिस्टर की उपलब्धता सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा बूथ लेवल अधिकारियों तक कराने हेतु सभी संबंधितों को निर्देशित करने की अपेक्षा की गयी है -

> **"9. Access to certain registers. For the purpose of preparing any roll or deciding any claim or objection to a roll, any registration officer and any person employed by him shall have access to any register of births and deaths and to the admission register of any educational institution, and it shall be the duty of every person incharge of any such register to give to the said officer or person such information and such extracts from the said register as he may require."**

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में की गयी अपेक्षा के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by
PREM KUMAR PANDEY
Date: 22-07-2025
16:06:10

भवदीय,

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1883 / 2025 महत्वपूर्ण

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ, हजरतगंज, लखनऊ–226001

संख्या–830/सी0ई0ओ0–4–17/4–2025 लखनऊः दिनांकः 15 जुलाई, 2025

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
   माध्यमिक शिक्षा,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव,
   प्राविधिक शिक्षा,
   उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव,
   उच्च शिक्षा,
   उत्तर प्रदेश शासन।
4. सचिव,
   चिकित्सा शिक्षा,
   उत्तर प्रदेश शासन।

2301 16.7.2025

विषय– <u>विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के संबंध में।</u>

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय पर अवगत कराना है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का सम्प्रति निरन्तर पुनरीक्षण–2025 का कार्य गतिमान है तथा निकट भविष्य में आयोग द्वारा निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण–2026 का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। अतः उक्त के दृष्टिगत मतदाता सूची की शुद्धता हेतु मृतक मतदाताओं के नामों का शत–प्रतिशत सत्यापन/अपमार्जन किए जाने तथा अर्ह मतदाताओं के नामों को सम्मिलित किए जाने हेतु कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उपनियम–9 (Access to certain registers) में निम्न प्रावधान हैं:–

"**9. Access to certain registers.**—For the purpose of preparing any roll or deciding any claim or objection to a roll, any registration officer and any person employed by him shall have access to any register of births and deaths and to the admission register of any educational institution, and it shall be the duty of every person incharge of any such register to give to the said officer or person such information and such extracts from the said register as he may require."

अतः उपरोक्त प्रावधानों के क्रम में कृपया अपने अधीनस्थ प्रदेश के समस्त शैक्षणिक संस्थानों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उप नियम–9 के बारे में जागरूक करने तथा इन नियमों का पालन किये जाने के अतिरिक्त सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश रजिस्टर की उपलब्धता सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा बूथ लेवल अधिकारियों तक कराने हेतु अपने स्तर से सभी संबंधितों को यथाशीघ्र निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नवदीप रिणवा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

(गिरिजेश कुमार)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

16/07/25 एस0पी0 अग्रवाल
प्रमुख सचिव
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

3547/VS(T)/2025
JS/SO-3
17.07.2025
21.07.2025

e:\rakesh\backup_4\drive e\special intensive revision-2026\circular.doc

संख्या 1863 /सत्तर-3- 25

महत्वपूर्ण

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ, हजरतगंज, लखनऊ–226001

संख्या–830/सी0ई0ओ0–4–17/4–2025 लखनऊः दिनांकः 15 जुलाई, 2025

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
   माध्यमिक शिक्षा,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव,
   प्राविधिक शिक्षा,
   उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव,
   उच्च शिक्षा,
   उत्तर प्रदेश शासन।
4. सचिव,
   चिकित्सा शिक्षा,
   उत्तर प्रदेश शासन।

विषय– विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय पर अवगत कराना है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का सम्प्रति निरन्तर पुनरीक्षण–2025 का कार्य गतिमान है तथा निकट भविष्य में आयोग द्वारा निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण–2026 का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। अतः उक्त के दृष्टिगत मतदाता सूची की शुद्धता हेतु मृतक मतदाताओं के नामों का शत–प्रतिशत सत्यापन/अपमार्जन किए जाने तथा अर्ह मतदाताओं के नामों को सम्मिलित किए जाने हेतु कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

2– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उपनियम–9 (Access to certain registers) में निम्न प्रावधान हैः–

> "**9. Access to certain registers.**—For the purpose of preparing any roll or deciding any claim or objection to a roll, any registration officer and any person employed by him shall have access to any register of births and deaths and to the admission register of any educational institution, and it shall be the duty of every person incharge of any such register to give to the said officer or person such information and such extracts from the said register as he may require."

अतः उपरोक्त प्रावधानों के क्रम में कृपया अपने अधीनस्थ प्रदेश के समस्त शैक्षणिक संस्थानों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उप नियम–9 के बारे में जागरूक करने तथा इन नियमों का पालन किये जाने के अतिरिक्त सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश रजिस्टर की उपलब्धता सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा बूथ लेवल अधिकारियों तक कराने हेतु अपने स्तर से सभी संबंधितों को यथाशीघ्र निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नवदीप रिणवा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

e:\rakesh\backup_4\drive e\special intensive revision-2026\circular.doc